Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

1. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हरियाणा राज्य में।

यादि0 क0 न0:T-1/C.M.Grievances/078859/ 13365 दिनांक : 7/12/16

विषय: राजकीय आई0टी0आई में दाखिले हेतु ग्राम पंचायत को सूचना देने बारे।

....

विभाग के नियमानुसार जिन ग्राम पंचायतों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु भूमि सरकार को दान में दी है या सरकार की हिदायतों अनुसार एक रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्षों के लिए लीज पर दी है, उन ग्राम पंचायतों को उस संस्थान की प्रत्येक **Trade Unit** मे मैरिट के आधार पर एक छात्र को दाखिले के लिए नोमिनेट करने का अधिकार है बशर्ते कि ऐसे छात्रों की कुल संख्या 10 से अधिक न हो। ग्राम पंचायत द्वारा नोमिनेटिड छात्र उसी ग्राम पंचायत एरिया का हो तथा दाखिले हेतु अन्य सभी शर्तें पूर्ण करता हो। यह सीटें सुपरन्युमिरी सीटस में से भरी जायेंगी। ग्राम पंचायतें छात्रों की सूची सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति सहित प्रधानाचार्य को दाखिले हेतु आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि से पूर्व सौंपेगी।

अतः ऐसे सभी संस्थानों के प्रधानाचार्य, जिनके भवन निर्माण हेतु भूमि ग्राम पंचायतों द्वारा दान में अथवा लीज पर दी गई है को निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्त बारे सबंधित ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि इन गावों से युवा इन आरक्षित सीटों पर दाखिला ले सकें।

Vijay Sharma 07/12/16
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण 5)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
RS हरियाणा ।

C.C.:

उपरोक्त पत्र की एक प्रति नोडल अधिकारी वैबसाईट को यह पत्र विभागीय वैबसाईट पर डालने हेतू भेजी जाती है।